

Public Copy

Mar 2023

Office of Collector/Jharkhand, Jharkhand (Serial No. 1379) / 111

आदेश

Letter of Official

प्रतिवेदन

Report

प्रतिवेदन

Report

विधि

Feb 24 2023

16.3.23.

आदेश पर की
गई कारबाह

16.3.23.

अभिभावक आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा बाघमारा थाना देवघर

खाता प्लॉट रक्कम
2019 पघ्य 164 0 एकड़ 2.754 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम रिश्ता अभिभावक का नाम

SRI MAHESH KUMAR LATH पिता SRI OM PRAKASH LATH

है जिन्होने निर्बंधित बिक्री, बिक्री-केवला संख्या 1019 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदीरैयत

रेयत का नाम रिश्ता अभिभावक का नाम

SRI MAHESH KUMAR LATH पिता SRI OM PRAKASH LATH

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

राजस्व उपनिरीक्षक व अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि मोजा बाघमारा के अंतर्गत अधिग्रहित बसौड़ी सत्व की भूमि है जिसका सत्यापन उपायुक्त सह जिला विधि शाखा देवघर के द्वारा सत्यापित है, अतः निर्बंधित केवला, दखल एवं उपायुक्त देवघर के द्वारा सत्यापन के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत किया जा सकता है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक व अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन व अनुसंशा, निर्बंधित दलील एवं दखल के आधार पर नामान्तरण की स्वीकृति दी जाती है। यह आदेश पूर्णतः अपीलीय है। इस आदेश के विरुद्ध सक्षम स्यायालय में अपील किया जा सकता है।

अतः वार्षिक लगान 30 रुपये

स्वीकृत

अलावे सेस के साथ नामान्तरण

किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :
MOTI LAL HEMBROM
अंचलाधिकारी देवघर

Motilal Hembrom
Report by Motilal Hembrom

16/3/23

16/3/23

रेपोर्ट अंचल
प्रतिवेदन
लंबाजन कराना

प्रतिवेदन
प्रतिवेदन
प्रतिवेदन